न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00249RAAJodhpur2020-125RTA225 Bheekharam Vs Khumaram etc

भीखाराम पुत्र श्री मंगलाराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम चिमाणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. खुमाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम चिमाणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
   परफोर्मा पक्षकार
2. डुंगरराम पुत्र केसराराम
3. भीयाराम पुत्र केसराराम
4. प्रेमाराम पुत्र केसराराम
5. खेमाराम पुत्र केसराराम
6. सॉवताराम पुत्र टीकूराम
7. फली पत्नी टीकूराम
8. मूला पुत्र गुमानाराम
9. कुम्भा पुत्र गुमानाराम
10. मोहनराम पुत्र मंगलाराम
11. गंगाराम पुत्र किशनाराम
12. सुगनीदेवी पत्नी विशनाराम
13. उम्मेदाराम पुत्र सुखाराम
14. लाछी पत्नी मोहनराम
15. फूसी पुत्री सूरजाराम
16. भागीरथराम पुत्र सुरजाराम
17. मेघाराम पुत्र सूरजाराम
    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम चिमाणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
18. शाखा प्रबंधक यूको बैंक, शाखा घंटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
19. ग्राम पंचायत चिमाणा, जरिये सरपंच
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019 खुमाराम बनाम डूंगरराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या बीस

नि र्ण य

दिनांक : 19 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019 खुमाराम बनाम डुंगरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 105 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा ग्राम चिमाणा तहसील बाप में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो./अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 96 रकबा 78 बीघा 17 बिस्वा में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को अपनी खातेदारी की भूमि में खसरा नं. 105 में आने-जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण जब अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ह तो धारा 251-ए के तहत नया रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नये रास्ते का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिस खसरा नं. 96 में सें रास्ते का आदेश दिया, उस खसरा के सभी खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। इस हेत अीपलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सीपीसी पेश किया जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर अपीलांट द्वारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उसको को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द दिनांक 28.05.2019 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया, वह मौका फर्द अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है तथा उस मौका रिपोर्ट में भी आया है कि खसरा नं. 96 में नलकूप खुदा हुआ है तथा सिंचित भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की गई है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस स्थान पर रास्ता दिया गया है, उस स्थान पर अपीलार्थी का नलकूप खुदा हुआ है तथा मौके पर फसल खड़ी है, इस कारण रास्ता दिया जाना संभव नही है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। वास्तव में रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खेत तक पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019 खुमाराम बनाम डुंगरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाप से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसर प्रतिकर राशि अपीलांट्स को अदा किये जाने के निर्देशो के साथ मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर रास्ता खुलवाया जा चुका है तथा वर्तमान में चालू स्थिति में हैं। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 28.05.2019 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 105 में आवागमन हेतु खसरा नं. 96 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है, जिसका रकबा 1.01 बीघा बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के लिए नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राशि अपीलांट/अप्रार्थी को अदा किये जाने के निर्देश दिये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019 खुमाराम बनाम डुंगरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर